समापन भाषण

माननीय सदस्यगण,

पंचदश बिहार विधान सभा का एकादश सत्र दिनांक 06 दिसम्बर, 2013 से प्रारम्भ होकर आज दिनांक 13 दिसम्बर, 2013 को समाप्त हो रहा है । इस सत्र में कुल छः बैठकें हुई ।

सत्र के प्रथम दिन बिहार विधान सभा में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथापारित तथा सत्रोपरान्त महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमत 12 (बारह) विधेयकों का एक विवरण सभा सचिव द्वारा सभा पटल पर रखा गया । 15 (पन्द्रह) जननायकों एवं राज्य में आतंकवादी तथा नक्सली हमले में मारे गए निर्दोष व्यक्तियों एवं सरकारी कर्मियों के निधन पर शोक-प्रकाश किया गया एवं दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गयी ।

दिनांक 09 दिसम्बर, 2013 को प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी को सदन में उपस्थापित किया गया ।

नियम-43 के तहत दिनांक 11 दिसम्बर, 2013 को माननीय नेता, प्रतिपक्ष श्री नन्द किशोर यादव एवं अन्य सभासदों द्वारा सामान्य लोकहित के विषय "राज्य में आतंकवाद, साम्प्रदायिकता एवं नक्सलवाद से उत्पन्न स्थिति" पर तथा दिनांक 13 दिसम्बर, 2013 को माननीय सदस्य श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी एवं अन्य सभासदों द्वारा "राज्य में मुसलमानों की आर्थिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक स्थिति में हो रही गिरावट से उत्पन्न स्थिति" पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिस पर सदन में विचार-विमर्श हुआ एवं विमर्शोपरान्त सरकार द्वारा उत्तर दिया गया ।

दिनांक 12.12.2013 को वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-151 (2) के अनुसरण में बिहार सरकार का 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष का (1) वित्त लेख (खण्ड-1 एवं 2) तथा (2) विनियोग लेखे जिन्हें बिहार विधान मंडल के समक्ष रखने के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है, की एक प्रति सदन पटल पर रखी गयी ।

वाणिज्य कर विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-99 के तहत् अधिसूचना संख्या-एस.ओ.-517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524 दिनांक 25.10.2013 एवं एस.ओ.-526, 527 दिनांक 18.11.2013 की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखी गयी ।

आपदा प्रबंधन विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा-78 (3) के तहत् आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित अधिसूचना संख्या-3449 दिनांक 06.11.2007, अधिसूचना संख्या-497, दिनांक 24.02.2010, अधिसूचना संख्या-1256, दिनांक 18.05.2010, अधिसूचना संख्या-1257, दिनांक 18.05.2010, अधिसूचना संख्या-3539, दिनांक 10.10.2011, अधिसूचना संख्या-3967, दिनांक 10.09.2013 तथा अधिसूचना संख्या-180, दिनांक 15.01.2013 की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखी गयी ।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित उर्जा विभाग के अनुदान की माँग पर वाद-विवाद हुआ तथा सरकार के उत्तर के बाद माँग स्वीकृत हुई एवं शेष माँग गिलोटीन (मुखबंध) द्वारा स्वीकृत किये गये ।

राजकीय विधेयकों में यथा- (1) बंगाल, आगरा एवं असम व्यवहार न्यायालय (बिहार संशोधन) विधेयक, 2013, (2) बिहार प्रत्यायोजित विधान उपबंध विधेयक, 2013, (3) बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2013 (4) बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2013 सभा द्वारा स्वीकृत किए गए ।

दिनांक 13.12.2013 को सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों के संबंध में वक्तव्य सदन के पटल पर रखा गया ।

सत्र के दौरान कुल-998 प्रश्नों की सूचना प्राप्त हुई । उसमें कुल-667 प्रश्न स्वीकृत हुए, जिसमें 11 अल्पसूचित प्रश्न, 512 तारांकित प्रश्न एवं 124 अतारांकित प्रश्न थे । इन स्वीकृत प्रश्नों में से 18 प्रश्न उत्तरित हुए एवं 157 प्रश्नोत्तर सभा पटल पर रखे गये। 10 प्रश्न अपृष्ठ हुए, उत्तर संलग्न प्रश्नों की संख्या-49 एवं 413 प्रश्न अनागत हुए।

इस सत्र के दौरान कुल-112 गैर सरकारी संकल्प की सूचना पर सदन में विचार-विमर्श हुआ ।

सत्र के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा शून्यकाल के माध्यम से कतिपय जनहित के मामले उठाये गये तथा बिहार विधान सभा की विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन सदन पटल पर रखे गये ।

इस सत्र में कुल-116 निवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 95 स्वीकृत हुए एवं 21 अस्वीकृत हुए । कुल-52 याचिकाएँ प्राप्त हुईं, जिनमें 31 स्वीकृत एवं 21 अस्वीकृत हुईं। इस सत्र में कुल-149 ध्यानाकर्षण सूचनाएँ प्राप्त हुई, जिनमें 10 वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुए तथा 118 सूचनाएँ लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेजे गये एवं 21 अमान्य हुए ।

माननीय सदस्य, श्री कृष्ण नंदन यादव एवं अन्य द्वारा प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इस सत्र में प्रश्नकाल का आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा सीधा एवं डेफर्ड प्रसारण किया गया तथा सम्पूर्ण कार्यवाहियों की रिकॉर्डिंग भी की गयी जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है । इन कार्यों से जुड़े कर्मचारी एवं पदाधिकारीगण धन्यवाद के पात्र हैं ।

बिहार विधान सभा की कार्यवाही वेबसाईट से भी प्रसारित किया जा रहा है, जिससे सुदूर के लोग भी हमारी गतिविधियों से अवगत हो सके ।

संसदीय प्रणाली को प्रभावशाली बनाने हेतु बिहार विधान सभा सचिवालय में प्रश्नों को प्राप्त करने हेतु ऑन लाईन सूचना प्रणाली प्रारम्भ हुई है जिससे माननीय सदस्यों को प्रश्न देने एवं प्रश्नों के उत्तर जानने संबंधी सुविधा प्रदान की गयी है जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है ।

सत्र के दौरान छात्र-छात्राओं को सदन की कार्यवाही दिखलाया गया, जिससे उन्हें संसदीय प्रणाली के प्रति आकर्षण बढ़ सके ।

सत्र के संचालन में भरपूर एवं सौहार्दपूर्ण सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री, नेता, विरोधी दल एवं अन्य दलीय नेताओं के साथ ही पक्ष-प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों का मैं आभारी हूँ । पत्र प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रिन्ट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दूरदर्शन एवं आकाशवाणी ने जनमानस के बीच सदन की कार्यवाही को ले जाने का जो सराहनीय कार्य किया उसके लिए मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ ।

सभा के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बिहार सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों सहित आरक्षी बल के जवानों ने जिस तत्परता, लगन और निष्ठा से अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन कुशलतापूर्वक किया, इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं ।

क्रिसमस एवं नव वर्ष 2014 के शुभागमन की बेला में मैं आप सभी माननीय सदस्यों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ तथा नया वर्ष प्रदेश की जनता के लिए सुख समृद्धि लेकर आए और आप सभी का जीवन सुखमय हो, इसके लिए शुभकामना देता हूँ ।

अब सभा की बैठक अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित की जाती है ।

❄❄❄❄❄